व्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रकाशनार्थ महत्त्वपूर्ण

जनगणना–2011 और जैन

✍मुनि श्री अभयसागर महाराज

राष्ट्रीय जनगणना 2011

9 फरवरी से 28 फरवरी, 2011 तक

प्रश्न संख्या 1	–	अपने/परिवारजनों के नाम के साथ **'जैन'** अवश्य ही लिखवायें ।
प्रश्न संख्या 7	–	**6** जैन
प्रश्न संख्या 10	–	**'मातृभाषा'** का नाम लिखवायें ।
प्रश्न संख्या 11	–	मातृभाषा के अतिरिक्त दो भाषाओं के लिए जैन साहित्य की **प्राकृत/अपभ्रंश/संस्कृत** में से कोई दो लिखवायें ।

भारत वर्ष में दस वर्षों के अंतराल के पश्चात् देश के निवासियों की जनगणना का कार्य सम्पन्न किया जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली–110 011 (वेबसाइट–www.censusindia.gov.in) द्वारा विस्तृत रूपरेखा एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से यह कार्य सम्पन्न किया/कराया जाता है। इस कार्य में लाखों प्रगणक/व्यक्ति घर–घर जाकर विस्तृत जानकारियाँ संग्रहीत करके अधिकृत विवरण ज्ञातकर तथा जनगणना प्रपत्रों को भरकर एक प्रामाणिक दस्तावेज तैयार करते हैं।

इस वर्ष आगामी **9 फरवरी से 28 फरवरी, 2011** तक यह जनगणना संबंधी काय किया जाना है। इसमें जनगणना विषयक विभिन्न जानकारियाँ आपसे पूछताछ करने जब जनगणना करने वाला व्यक्ति आपके घर पहुँचेगा, तब आप या आपके परिवार का कोई अन्य सदस्य अपने परिवार का पूर्ण विवरण सही तौर पर बताकर अपने और धर्म के साथ ही देश के लिए भी एक विशिष्ट योगदान दे रहे होंगे ।

'परिवार अनुसूची' संबंधी जनगणना प्रपत्र के अंतर्गत **प्रश्न/कॉलम क्रमांक 1 (एक)** में सदस्यों के नाम के साथ में आगे या पीछे, जहाँ भी उचित हो, वहाँ पर **'जैन'** शब्द अवश्य ही लिखाएँ । इसी प्रकार **प्रश्न/कॉलम नंबर 7 (सात)** पर **धर्म (Religion)** का एक अन्य **प्रश्न**/कॉलम है । इसके संबंध में परिवार के प्रत्येक सदस्य के धर्म की जानकारी पूँछकर संग्रहीत की जानी है । इस हेतु जो व्यक्ति, जिस धर्म का अनुपालक/मानने वाला होगा, वह जैसा सूचित करेगा तो उसी के अनुरूप प्रपत्र पर जानकारी भरी जाएगी।

इस हेतु **'भारत की जनगणना 2011'** हेतु **'परिवार अनुसूची'** प्रपत्र में देश के विभिन्न धर्मों के नाम तथा उनके लिए अरबी अंकों में नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत **'हिन्दू'** के लिए 1, **'मुसलमान'** के लिए 2, **'ईसाई'** के लिए 3, **'सिक्ख'** के लिए 4, **'बौद्ध'** के लिए 5 तथा **'जैन' धर्म** के लिए **6 अंक** का निर्धारण किया गया है।

इस संबंध में समस्त जैन धर्मावलम्बियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे **प्रश्न/कॉलम क्रमांक 1 (एक)** के लिए अपने नाम के साथ **'जैन'** शब्द का प्रयोग अवश्य ही करें। कदाचित् वे अपने नाम के आगे या पीछे अपना उपनाम, जाति, गोत्र वाचक शब्द या अन्य कोई शब्द भले ही प्रयोग करते हों, किन्तु जनगणना में जानकारी भरते/भरवाते समय यह सावधानी तथा निगरानी रखना भी आवश्यक है कि **प्रश्न/कॉलम क्रमांक 1 (एक)** में व्यक्ति के नाम के साथ **'जैन'** अवश्य ही लिखवाया जाए। इसी प्रकार **धर्म** के **7 (सातवें) नंबर** के **प्रश्न/कॉलम** में अपने धर्म **जैन (JAIN)** तथा क्रमांक **6 (छह)** को लिखा जाना भी सुनिश्चित कर लें।

कहीं आपकी लापरवाही तथा जनगणना प्रपत्र को भरने वाले प्रगणक के प्रमाद, हठाग्रह, विद्वेश, नासमझी या इरादतन गड़बड़ी के कारण यदि आपके धर्म वाले **प्रश्न/कॉलम सात (7)** में **जैन** तथा क्रमांक **6** के स्थान पर और किसी अन्य धर्म का नाम एवं क्रमांक उल्लेखित हो जाएगा, तो फिर आपके नाम के साथ **'जैन'** लिखा होना कोइ महत्त्व नहीं रखेगा। चूँकि अन्त में जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर अथवा अँगूठा का निशान लगवाया जाकर आपके

द्वारा दी गई जानकारी की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाएगी। अतः हस्ताक्षर करने या अँगूठा लगाने से पहले **धर्म के प्रश्न/कॉलम क्रमांक 7 (सात)** में **जैन (JAIN)** तथा **अंक** के रूप में **6 (छह)** को लिखे जाने की पुष्टि कर/करा लेना आपका/स्वयं का नैतिक दायित्व/कर्तव्य बन जाता है ।

इसी **'परिवार अनुसूची'** प्रपत्र में **प्रश्न/कॉलम नम्बर 10** पर **'मातृभाषा'** बतलाना है। तथा **प्रश्न/कॉलम नम्बर 11** पर **'अन्य भाषाओं का ज्ञान'** के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यदि किन्हीं अन्य भारतीय या विदेशी भाषाओं का परिज्ञान हो, तो उनमें से प्रवीणता के आधार पर किन्हीं दो अन्य भाषाओं का नाम दर्ज किया/कराया जा सकता है।

'परिवार अनुसूची' में विवरण भरे जाने के संबंध में प्रगणकों के लिए निर्देश प्रदान करने हेतु **'भारत की जनगणना 2011 – संक्षिप्त मकान सूची को अद्यतन करने और परिवार अनुसूची को भरने के लिए अनुदेश पुस्तिका'** के पृष्ठ 60 एवं 61 पर विभिन्न निर्देश दिये गये हैं। इसमें प्रकाशित विवरण के अनुसार **'मातृभाषा'** उस बोली/भाषा को माना जाएगा जो किसी व्यक्ति को बचपन में उसकी माता ने उससे बोलने क लिए प्रयोग की हो । इसी प्रकार मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य जिन दो भाषाओं का व्यक्ति को बोलने और समझने तथा दूसरों को अपनी बात समझाने में प्रवीणता प्राप्त हो, वैसी दो भाषाओं का उल्लेख कराया जाना है। इसके लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि उसे उन दोनां ही भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो तथा वह उन दोनों ही भाषाओं को समझने और बोलने में समर्थ हो ।

जैनधर्म के समस्त अनुयायियों से इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है, जो उनका स्वयं का नैतिक दायित्व/कर्तव्य तो है ही, साथ ही अपनी संस्कृति, परम्परा को बचाए, बनाए रखने के प्रति सजग प्रयास भी होगा । जनगणना प्रगणक के द्वारा **प्रश्न/कॉलम क्रमांक 10** के संबंध में **'मातृभाषा'** को दर्ज कराए जाने के उपरान्त **प्रश्न/कॉलम क्रमांक 11 पर 'मातृभाषा'** के अतिरिक्त **जिन अन्य दो भाषाओं** का आपको/आपके पारिवारिक सदस्यों में से प्रत्येक को अलग–अलग रूप से ही सही, जिन–जिन भाषाओं का परिज्ञान हो, वह पूछे जाने पर व्यक्ति प्रायः अंग्रेजी या उर्दू का नामोल्लेख करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं । किन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि आपको/उन सदस्यों को जितना इन दोनों विदेशी भाषाओं का ज्ञान है, शायद उससे भी अधिक अपनी जैन परम्परा के आगम साहित्य की भाषाओं, यथा– प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत आदि का भी ज्ञान होगा/हो सकता है।

पंच परमेष्ठीवाचक णमोकार मंत्र, चत्तारि दंडक पाठ, चतुर्विंशति तीर्थंकरों के स्तवन पाठ, स्त्रोत पाठ, पूजन पाठ, आगम के महान् ग्रंथ प्राचीन काल में प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत भाषाओं आदि में हो तो लिपिबद्ध हुए हैं । वे चाहे षट्खण्डागम, कसायपाहुड, समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, मूलाचार, तिलोयपण्णति, भगवती आराधना, गोम्मटसार आदि प्राकृत भाषा में लिखित दिगम्बर जैन परम्परा के ग्रंथ हों अथवा श्वेताम्बर जैन परम्परा मान्य द्वादशांग, उपांग, छेदसूत्र, नि ीथ सूत्र, प्रकीर्णक सूत्र आदि विषयक 45 या 32 आगम गंथ हों, वे सभी मूलतः प्राकृत भाषा में ही तो निबद्ध हैं । इनका पठन–पाठन, अध्ययन–अध्यापन अथवा धर्मश्रवण प्रतिदिन श्रमण एवं श्रावकजन करते ही हैं। इसी प्रकार तत्त्वार्थसूत्र और उस पर लिखित टीकाएँ, पाराणिक ग्रंथ, न्याय, व्याकरण, दर्शन, ध्यान, स्तवन, स्तोत्र आदि विषयक अनेक ग्रंथ पूर्वाचार्यों ने जहाँ संस्कृत में सृजित किए, वहीं अनेक चरित, आख्यानक अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गये।

अत एव जैन परम्परा के अनुयायियों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी परम्परा को सुरक्षित रखने, उसे पल्लवित, पुष्पित करने के लिए मातृभाशा के अतिरिक्त **प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत** भाषाओं में से किन्हीं दो का उल्लेख यथायोग्य रीति से अवश्य ही करवायें । इस प्रकार नाम के साथ जहाँ **'जैन'** रूप उल्लेख करें, वहीं धर्म, मातृभाषा एवं अन्य दो भाषाओं के ज्ञान विशयक प्रश्नों के उत्तर लिखाते समय स्वयं ही या पारिवारिक सदस्यों को भी सूचित, जागृत रखकर जैनधर्म के अनुयायियों की वास्तविक संख्या/गणना करवाने में सभीजन मददगार हों । और अपनी संस्कृति, समाज, धर्म की सुरक्षा, समृद्धि हेतु स्वयं, परिवार, अडोस–पडोस, ग्राम, नगर के अन्य साधर्मीजनों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी सूचित कराने में प्रयासरत रहें। इसके लिए अधिकतम जैन धर्मावलम्बियों तक एस.एम.एस., ईमेल करके, इस विवरण को मुद्रित कराकर, जैन साधुओं द्वारा उनके धर्मोपदेश के माध्यम से, जैन सामाजिक पत्र–पत्रिकाओं में समाचार प्रकाशित करवाकर, जैन मंदिरों, चैत्यालयों, स्थानकों में विवरण को लगाकर, सामाजिक संगठनों एवं संस्था के पदाधिकारियों को सजग, सतर्क करने हेतु अधिकाधिक प्रचार–प्रसार इस मुद्दे का किया जाना चाहिए। कदाचित् यह अवसर यदि हम चूक गए, तब पुनः दस वर्ष के पश्चात् ही दुबारा ऐसा मौका आएगा।

अधिक जानकारी प्राप्ति हेतु संपर्क करें

नितिन कुमार जैन, सिंघई मार्केट, न्यूगल्ला मंडी,खरगापुर –472115,जिला–टीकमगढ (म.प्र.)

मोबाइल– 09993285189 Email-: *nitin_jains@rediffmail.com*